अध्याय-4

राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन

अध्याय-4

राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन

4.1 वित्तीय प्रबंधन मुद्दे

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (यू-कैम्पा) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह है। इस उद्देश्य के लिए, यू-कैम्पा को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उल्लिखित प्रणाली और प्रक्रिया को अपनाना है। यू-कैम्पा, गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के एवज में उपयोगकर्ता एजेंसी से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्राप्त करता है और राज्य वन विभाग के नियंत्रण के अधीन प्रभागीय वन अधिकारियों (डी एफ ओ) को निधि जारी करके कैम्पा के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करता है। राष्ट्रीय प्राधिकरण ने वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमश: ₹ 2,675.09 करोड़ तथा ₹ 198.52 करोड़ की धनराशि राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि को स्थांनान्तरित की। मार्च 2022 को, राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में ₹ 2,873.61 करोड़ की निधि उपलब्ध थी। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि, अधिनियम लागू होने के पश्चात (वर्ष 2018-22), उपयोगकर्ता एजेंसी से प्राप्त निधियों, प्रस्तावित निधियों एवं भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित निधियों और आगे प्रभागीय वन अधिकारी को अवमुक्त निधियों के सापेक्ष किये गये व्यय का वर्ष-वार विवरण **तालिका-4.1** में दिया गया है।

तालिका-4.1: स्वीकृत, अवमुक्त और उपयोग की गई निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त निधियाँ	प्रस्तावित निधियाँ	स्वीकृत निधियाँ	अवमुक्त निधियाँ	उपयोग की गयी निधियाँ
2018-19	79.83	318.30	318.30	303.00	120.54
2019-20	118.73	218.00	213.11	153.85	125.55
2020-21	143.99	487.58	362.90	275.48	252.76
2021-22	100.63	950.81	726.88	434.38	375.58
योग	**443.18**	**1,974.69**	**1,621.19**	**1,166.71**	**874.43**

स्रोतः राज्य कैम्पा एवं नोडल कार्यालय से प्राप्त सूचना।

नोट: पूर्व के वर्षों की अप्रयुक्त अवशेष कैम्पा निधि से प्रस्तावित, अनुमोदित एवं उपयोग की गयी निधियाँ।

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान (वर्ष 2019-22) ₹ 753.89 करोड़ का उपयोग किया गया। लेखापरीक्षा में विचलन/अस्वीकार्य व्यय, लेखांकन प्रक्रिया में कमी, ब्याज देनदारी का निर्वहन न करना, अवशेष धनराशि पर दिशा-निर्देशों का उल्लंघन और निधियों का विचलन इत्यादि के प्रकरण देखे गए, जिनकी चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गई है।

4.1.1 राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से विचलन/अस्वीकार्य व्यय

बजट मैनुअल के नियम 154 (2) में प्रावधान है कि किया गया व्यय विनियोग अधिनियम, संविधान और उसके अन्तर्गत बनाए गए कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गए वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुसार भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमों के अनुसार, राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के लिए प्राप्त धनराशि को किसी अन्य व्यय के अन्तर्गत कार्यान्वित किसी अन्य राज्य योजनाओं में किये जा रहे पूंजीगत अथवा बचे हुए कार्यों के साथ मिलाने की अनुमति नहीं थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2020), राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का उपयोग सामान्य राज्य बजट के विकल्प के रूप में वानिकी और वन्यजीव क्षेत्र के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य प्राधिकरण ने जारी आदेशों में यह भी निर्देश दिया कि राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का उपयोग प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य प्राधिकरण के अभिलेखों की जाँच से राज्य स्तर पर राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के महत्वपूर्ण विचलन के निम्नलिखित प्रकरण सामने आए:

- मूल्य वर्धित कर, अधिभार, बिक्री कर इत्यादि के भुगतान के लिए ₹ 56.97 लाख की धनराशि जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जायका) परियोजना में विचलित की गई।

  राज्य सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2023) कि ₹ 56.97 लाख की धनराशि अनुचित मद के रूप में इस शर्त के साथ अवमुक्त की गई थी कि निधियों की उपलब्धता होने पर कैम्पा को धनराशि वापस कर दी जाएगी, ₹ 20.00 लाख की वसूली की जा चुकी है एवं अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वन विभाग से अनुरोध किया जाएगा।

- राज्य प्राधिकरण ने कार्यालय परिसर में सौर बाड़ लगाने के लिए डी एफ ओ, अल्मोड़ा को ₹ 13.51 लाख आवंटित किए।

  राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की सुरक्षा तथा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने हेतु सौर बाड़ लगाने की अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार का प्रत्युत्तर उचित नहीं है क्योंकि डी एफ ओ द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम/अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त करने में विफल होने तथा वार्षिक कार्य योजना में इसे सम्मिलित किये बिना एवं कार्यकारी समिति या संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त किए बिना, इस कार्य हेतु वित्तपोषण किया गया।

- मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधिक प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड को मुद्रण/ प्रचार/ जागरूकता हेतु ₹ 6.54 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी। तथापि, अवमुक्त धनराशि का उपयोग कार्यालय की स्थापना पर किया गया था।

  राज्य सरकार द्वारा (जुलाई 2023) अवगत कराया गया कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इसे अवमुक्त किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों का उपयोग कार्यालयी कार्यों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीद के लिए किया गया था न कि मुद्रण/प्रचार/जागरूकता हेतु।

- राज्य प्राधिकरण ने सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को ₹ 7.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की। तथापि, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन ने वन मुख्यालय के नियमित खर्चों के लिए ₹ 4.96 लाख की धनराशि का उपयोग किया[1]।

  राज्य सरकार ने (जुलाई 2023) अवगत कराया कि धनराशि का उपयोग आवंटित मदों पर किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धनराशि का उपयोग संविदा कर्मियों के वेतन एवं वन मुख्यालय में इंटरनेट लीज लाइन के भुगतान हेतु किया गया।

इसके अतिरिक्त, प्रभाग स्तर पर ₹ 13.86 करोड़ की धनराशि अस्वीकार्य क्रियाकलापों जैसे राज्य योजना-हरेला, टाइगर सफारी कार्य, विद्यमान भवनों के नवीनीकरण, व्यक्तिगत यात्राओं, न्यायालय के वाद प्रकरणों, आई-फोन, लैपटॉप,

[1] भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा वन मुख्यालय परिसर में संचालित इंटरनेट लीज लाइन का भुगतान एवं जूनियर सिस्टम एनालिस्ट के वेतन भुगतान हेतु ₹ 2.22 लाख की धनराशि का उपयोग किया गया।

फ्रिज, कूलर, स्टेशनरी इत्यादि की खरीद आदि पर व्यय/व्यावर्तित किये गये थे (जैसा कि ***परिशिष्ट-4.1*** में वर्णित है)। प्रभाग स्तर पर व्यावर्तित/अस्वीकार्य कार्य पर किये गये व्यय के कुछ प्रमुख प्रकरणों का विवरण **तालिका-4.2** में दिया गया है:

तालिका-4.2: कैम्पा निधियों के प्रमुख विचलन का विवरण

प्रभागों का नाम	**प्रमुख कार्य/मदें जिन पर निधि का विचलन किया गया**	**धनराशि** *(₹ लाख में)*
कालागढ़ टाइगर रिजर्व	आंतरिक पथ/छः मीटर चौड़ी टाइगर सफारी सड़क का निर्माण, वन विश्राम गृह मोरघट्टी का आधुनिकीकरण और एक अतिरिक्त कमरे का विस्तार, गुर्जर श्रोत में चार वन रक्षक चौकियों का निर्माण, हाथी सुरक्षा दीवार, दो वॉच टॉवर और अन्य विविध कार्य जैसे लैंटाना हटाना, ब्रिडल पथ।	269.30
हरिद्वार	विद्यमान भवन का नवीनीकरण, हरेला, बाड़ लगाना इत्यादि।	277.90
तराई पूर्वी	फर्नीचर और उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, स्ट्रीटलाइट, कुर्सियाँ और विद्यमान भवन का नवीनीकरण इत्यादि।	100.72
नरेंद्र नगर	विद्यमान भवन का नवीनीकरण और हरेला इत्यादि।	38.00
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व	ढेला नदी का उपचार एवं जैव-विविधता पार्क का निर्माण।	71.89
लैंसडाउन	वन अतिथि गृह की सफाई, ब्रिडल पथ, वन मार्ग, अग्नि इत्यादि।	59.03
नैनीताल	विद्यमान भवन का नवीनीकरण, हरेला इत्यादि	28.50
टोंस (पुरोला)	विद्यमान भवन का नवीनीकरण और हरेला इत्यादि।	22.00

राज्य सरकार द्वारा (जुलाई 2023) अवगत कराया गया कि सभी गतिविधियाँ अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार की गईं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये क्रियाकलाप प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमों के नियम 5(4) तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में दी गयी शर्तों के अनुसार स्वीकार्य नहीं थे। कालागढ़ टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और लैंसडाउन के प्रकरण में, राज्य सरकार ने स्वयं कोई उत्तर नहीं दिया (जुलाई 2023) और कालागढ़ टाइगर रिजर्व एवं लैंसडाउन प्रभागों के उत्तरों को संलग्न किया। डी एफ ओ, कालागढ़ टाइगर रिजर्व ने अवगत कराया कि समस्त कार्य तत्कालीन डी एफ ओ के निर्देशानुसार निष्पादित किये गये थे तथा डी एफ ओ, लैंसडाउन ने अवगत कराया कि वनाग्नि के विरुद्ध सावधानीपूर्ण उपायों के लिए कार्य संपादित कराये गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधियों का विचलन अन्य योजनाओं जैसे टाइगर सफारी तथा राज्य सैक्टर के कार्यों पर किया गया था।

4.1.2 लेखांकन प्रक्रिया अपनाने में त्रुटियाँ

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियमावली का नियम 2 (6) निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त समस्त धनराशि को राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा[2] में जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2022) कि उक्त लेखा नियमों की अधिसूचना के तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी वन भूमि के व्यपवर्तन के सापेक्ष उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धनराशि को राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा में जमा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, उक्त लेखांकन नियमों के अनुसार राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि गतिविधियों हेतु व्यय करने के लिए बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए, जिसे बाद में लेखांकन समायोजन के माध्यम से राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से वित्त पोषित किया जाएगा। तथापि, राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तदनुसार, उन वर्षों में राज्य वित्त पोषित व्यय को अधिक बताया गया था और राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि व्यय को ₹ 547.82 करोड़ कम बताया गया। तथापि, सरकार ने अक्टूबर 2022 से सुधारात्मक कदम उठाए हैं।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2023) आश्वासन दिया कि राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है।

4.1.3 राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में ब्याज देनदारी का निर्वहन करने में विफलता

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम की धारा 4(5) और 4(6) के अनुसार राज्य को राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष राशि पर, लागू ब्याज दर के अनुसार ब्याज जमा करना था। राज्य प्राधिकरण के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (मई 2022) कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 275.34 करोड़[3] की ब्याज देनदारी का निर्वहन नहीं किया, जबकि राज्य प्राधिकरण ने समय-समय पर राज्य सरकार से इसके लिए अनुरोध[4]

---

[2] मुख्य शीर्ष 8336-राज्य के लोक लेखे में सिविल जमा।

[3] वर्ष 2019-20: उपलब्ध राशि ₹ 2,675.09 करोड़ x 5.5 *प्रतिशत* x 7/12 = ₹ 85.83 करोड़, वर्ष 2020-21: उपलब्ध राशि ₹ 2,760.92 करोड़ x 3.4 *प्रतिशत* = ₹ 93.87 करोड़ और वर्ष 2021-22: उपलब्ध राशि ₹ 2,854.78 करोड़ x 3.35 *प्रतिशत* = ₹ 95.64 करोड़।

[4] फरवरी 2020, जनवरी 2021 और जनवरी 2022 ।

किया था। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (जुलाई 2023) कि ₹ 150.00 करोड़ की ब्याज देनदारी राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा कर दी गई है।

4.1.4 निधियों का मनमाना/असमान वितरण

राष्ट्रीय प्राधिकरण से वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात, राज्य सरकार, राज्य बजट[5] से इस उद्देश्य के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा को निधियाँ आवंटित करती है और उसके पश्चात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा, कार्यदायी संस्थाओं को निधियाँ अवमुक्त करता है। चूंकि राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना की तुलना में कम धनराशि अवमुक्त की, इसलिए राज्य प्राधिकरण को न्यायसंगत और आवश्यकता आधारित वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं की गतिविधियों और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी। तथापि, समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा द्वारा निम्नानुसार पाया गया:

- अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में ₹ 76.35 करोड़[6] की अनुमानित लागत पर कुछ गतिविधियाँ सम्मिलित थीं, जिसके सापेक्ष वर्ष 2019-22 के दौरान कार्यदायी संस्था को कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2023) कि निधियों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया गया था। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवश्यकता के विश्लेषण के आधार पर ही वार्षिक कार्य योजना को तैयार तथा राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।
- वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य और प्रभाग स्तर पर गतिविधि वार अवमुक्त की गयी धनराशि की जाँच में असमान वितरण का पता चला, क्योंकि कुछ प्रभागों को उनकी मांग के अनुरुप धनराशि आवंटित की गयी थी जबकि अन्य को नहीं की गयी थी। नीचे दी गई **तालिका-4.3** राज्य और प्रभाग स्तर पर मांग (अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना) के विरुद्ध गतिविधि वार निधियों को अवमुक्त किया जाना दर्शाती है।

---

[5] कटौती वसूली के रूप में लेखांकन समायोजन राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से राज्य बजट में किया जाता है।

[6] वर्ष 2019-20: एन पी वी- ₹ 5.65 करोड़ और ब्याज घटक- ₹ 10.00 करोड़, वर्ष 2020-21: ब्याज घटक- ₹ 2.75 करोड़ और वर्ष 2021-22: कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान- ₹ 0.66 करोड़, अन्य निर्दिष्ट गतिविधियाँ- ₹ 4.79 करोड़ और एन पी वी- ₹ 52.50 करोड़।

तालिका-4.3: अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के विरूद्ध शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी) के अन्तर्गत राज्य के साथ-साथ प्रभाग स्तर पर निधियाँ अवमुक्त करना

(प्रतिशत में)

गतिविधियाँ	राज्य स्तर पर निधियाँ अवमुक्त करना	प्रभागीय स्तर पर निधियाँ अवमुक्त करना			
2019-20		**सर्वाधिक मनपसंद प्रभाग**		**सबसे कम मनपसंद प्रभाग**	
वन पंचायतों में अग्नि सुरक्षा गतिविधियाँ	87	सिविल एवं सोयम, अल्मोड़ा	100	भूमि संरक्षण, लैंसडाउन	28
		बागेश्वर	100	चम्पावत	61
		टिहरी बांध-1	100	भूमि संरक्षण, उत्तरकाशी	95
मृदा एवं जल संरक्षण के उपाय	74	राजाजी टाइगर रिजर्व	100	पिथौरागढ़	42
		कालागढ़ टाइगर रिजर्व	100	भूमि संरक्षण कालसी	41
		देहरादून	100	लैंसडाउन	37
2021-22					
रेंज स्तर तक भवन का निर्माण	55	गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य	100	टोन्स	50
		गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान	100	अपर यमुना बड़कोट	50
		उत्तरकाशी	100	चम्पावत	50
ब्रिडल पथ/वन मार्ग की मरम्मत	89	देहरादून	100	गोविंद वन्य जीव अभयारण्य	55
		गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान	100	तराई केन्द्रीय	62
		तराई पूर्वी	100	बद्रीनाथ	77
मौजूदा भवन का नवीनीकरण	51	देहरादून	100	टिहरी बांध-1	28
		राजाजी टाइगर रिजर्व	100	पिथौरागढ़	33
		उत्तरकाशी	100	सिविल एवं सोयम, पौड़ी	30

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2023) कि निधियाँ अध्यक्ष, कार्यकारी समिति के निर्देशों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की त्वरित आवश्यकता/प्राथमिकता के आधार पर अवमुक्त की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यकारी समिति के द्वारा निर्देशित त्वरित आवश्यकताओं पर आधारित होने की बजाय अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में उल्लिखित प्रावधानों का पालन करने के लिए निधियाँ अवमुक्त की जानी चाहिए थी।

4.1.5 निधियों को अवमुक्त करने में वित्तीय अनुशासनहीनता

प्रमुख सचिव (वन) के निर्देशानुसार (जुलाई 2020) राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से कार्यदायी संस्था को निधियाँ अवमुक्त करने से पूर्व कार्यकारी समिति के अध्यक्ष सह हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (हॉफ) से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अध्यक्ष, कार्यकारी समिति सह हॉफ ने अप्रैल और जून 2021 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा को संदर्भित अपने पत्र में उपरोक्त निर्देशों की पुनरावृत्ति की।

उपरोक्त निर्देशों के बावजूद लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा ने जुलाई 2020 से नवम्बर 2021 के दौरान मनमाने/असमान तरीके से अध्यक्ष, कार्यकारी समिति सह हॉफ के आवश्यक अनुमोदन के बिना प्रभागों/कार्यदायी संस्था को निधियाँ अवमुक्त की। निधियों को अवमुक्त करने में अन्य खामियाँ भी थीं, जैसे कि नीचे दी गयी **तालिका-4.4** में वर्णित किया गया है।

तालिका-4.4: निधि अवमुक्त करने के आदेशों की समीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
1.	अध्यक्ष, कार्यकारी समिति सह हॉफ का अनुमोदन	हाँ	जुलाई 2020- मार्च 2021 के दौरान नहीं	अप्रैल से नवम्बर 2021 तक नहीं; शेष अवधि के दौरान अधिकांश हाँ
2.	हितधारकों (प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक, जोन) के साथ परामर्श	कभी-कभी, हाँ	नहीं	नहीं
3.	अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के सम्बन्ध में मांग की जाँच, पूर्व में अवमुक्त, उचित उपयोग का प्रमाण अर्थात क्या मांग की जाँच योग्यता के आधार पर की गई थी	नहीं	नहीं	नहीं
4.	वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा अवमुक्त किए जाने वाले प्रस्तावों की जाँच	नहीं	नहीं	नहीं
5.	2-3 स्तरों पर प्रस्तावों की स्वतंत्र जाँच	हाँ, अंतिम अनुमोदन से पूर्व दो स्तरों पर	जुलाई 2020 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा ने प्रभागों को निधियाँ अवमुक्त करने का	प्रस्तावों की कोई स्वतंत्र जाँच नहीं

क्र. सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
			एकतरफा निर्णय लिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा के निर्देश पर अधीनस्थ ने बिना जाँच के प्रस्ताव प्रस्तुत किए	
6.	दिनांक से संबंधित प्रलेखीकरण	हाँ	जुलाई 2020 से डीलिंग हैंड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा दोनों ने दिनांकित हस्ताक्षर करना बंद कर दिया	29 में से 23 बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैम्पा/हॉफ द्वारा दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया
7.	क्या अवमुक्त की गयी निधि से कार्यदायी संस्था को निधियों का उपयोग करने हेतु पर्याप्त समय दिया	ऐसा कोई प्रकरण नहीं मिला	22-30 मार्च 2021 के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा ने मृदा एवं नमी संरक्षण, वन्यजीव संघर्ष, बचाव केंद्र निर्माण, मुद्रण प्रचार विस्तार, लैंटाना हटाने इत्यादि के लिए ₹ 9.99 करोड़ अवमुक्त किए	30 मार्च 2022 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा ने वन पंचायत के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹ 7.21 करोड़ अवमुक्त किए

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2023) कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम और नियमों में कार्यदायी संस्था को निधियाँ अवमुक्त करने से पूर्व अध्यक्ष कार्यकारी समिति सह हॉफ से अनुमोदन की आवश्यकता को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। फिर भी, कार्यदायी संस्था को निधियाँ अवमुक्त करने से पूर्व अध्यक्ष कार्यकारी समिति से स्वीकृति मांगी गई थी। उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि लेखापरीक्षा ने एक विशिष्ट अवधि (जुलाई 2020 से नवम्बर 2021) का खुलासा किया जिसके दौरान अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम की धारा 19 (ix & x) स्पष्ट रूप से बताती है कि कार्यकारी समिति वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों को सौंपने और राज्य प्राधिकरण से संबंधित दिन-प्रतिदिन के काम की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

4.2 निष्कर्ष

निधियों को अवमुक्त करना अवास्तविक था और अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप नहीं था। राज्य प्राधिकरण सभी कार्यदायी संस्थाओं में गतिविधियों का न्यायसंगत और आवश्यकता आधारित वित्त पोषण सुनिश्चित करने में विफल रहा।

निधियों को अवमुक्त करने में अक्षमता/अप्रभावकारिता, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमों के अनुसार लेखांकन प्रक्रिया को न अपनाने और ब्याज देयता का निर्वहन न करने के प्रकरण थे। इसके अतिरिक्त, राज्य प्राधिकरण ने राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से विचलन/अस्वीकार्य व्यय को नियंत्रित नहीं किया।

4.3 अनुशंसाएँ

- ***चूंकि कैम्पा गतिविधियों को लोक लेखे के राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से वित्त पोषित किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार को बजटीय प्रावधानों को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के बराबर रखना सुनिश्चित करना चाहिए;***
- ***राज्य प्राधिकरण को मजबूत वित्तीय प्रबंधन के लिए उचित बजटीय नियंत्रण जाँच स्थापित करनी चाहिए ताकि निधि के दुरुपयोग/व्यपवर्तन/गबन को रोका जा सके।***